राजकीय महाविद्यालय– सराहाँ ,जिला-सिरमौर (हि०प्र०) के छात्र निधियों का अंकेक्षण एवम निरिक्षण प्रतिवेदन

अवधि 08/2012 से 03/2013 व 04/2014 से 03/2016

भाग-एक

1 प्रारम्भिक

(क) प्रधान सचिव,उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:EDN-A-Ka(1)-2/2012 दिनांक 04.08.2012 के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय – सराहाँ, जिला-सिरमौर (हि०प्र०) का वित्तीय वर्ष 2012-13 में आरम्भ किया गया किन्तु अधोसरंचना व छात्रों की कमीं के कारण इसे अधिसूचना संख्या:EDN-A-Ka(1)-2/2012 दिनांक 02.03.2013 द्वारा बंद कर दिया गया था। इसके उपरांत प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:EDN-A-Ka(1)-2/2014 दिनांक 15.01.2014 द्वारा महाविद्यालय को पुनः वित्तीय वर्ष 2014-15 में आरम्भ किया गया I

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राचार्य महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवम आहरण व् संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे:-

क्रमांक	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री एन0के0 थामी	01.09.12 to 31.10.12
2	श्रीमति दीक्षा	1.11.12 to 28.02.13
3	डा0 इंद्रजीत सिंह	12.06.14 to 31.03.16

(ग)गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रमांक	विवरण	पैरा संख्या	राशी (लाख ₹ में)
1	छात्रों से विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क की अधिक वसूली करना	7	0.10
2	छात्रों से computer practical शुल्क की कम वसूली करना	8	0.09
3	छात्रों से प्राप्त राशी को गलत निधि में जमा/गणना करना	10	0.13
4	छात्र निधियों से किसी अन्य उद्देश्य हेतु अनियमित व्यय करना	18	0.03

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

महाविद्यालय के अवधि 08/2012 से 03/2013तक व 04/2014 से 03/2016 तक के छात्र निधि लेखों का प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री हेमराज भारद्वाज, सहायक नियंत्रक(लेखा परीक्षा) व् श्री चेत राम, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 07.03.17 से 15.03.17 तक के दौरान महाविद्यालय के सराहाँ स्थित कार्यालय में

सम्पन्न किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में वर्णित है। विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2012-13	12/2012	12/2012
2014-15	01/2015	10/2014
2015-16	06/2015	08/2015

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय महाविद्यालय सराहाँ, जिला-सिरमौर (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधरित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 08/2012 से 03/2013तक व 04/2014 से 03/2016 तक के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरण अनुसार ₹18000 आंका गया जिसे रेखाकिंत बैक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु प्रधानाचार्य से सहायक नियंत्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या:36/2017 दिनांक 08.03.17 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में प्रधानाचार्य द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क ₹18000, हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक –सराहाँ, जिला-सिरमौर के डिमांड ड्राफ्ट संख्या:AA412538 दिनांक 09.03.17 के माध्यम से पत्र संख्या : GC-SRN-1/17,334-35 दिनांक 14.03.17 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० शिमला-9 को भेज दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	छात्र निधियों की आय (₹ में)	अंकेक्षण शुल्क (₹ में)
2012-13	37162	5000
2014-15	125358	5000
2015-16	299682	8000
	कुल जोड़	**18000**

4 वित्तीय स्थिति

(क) राजकीय महाविद्यालय सराहाँ, जिला-सिरमौर (हि०प्र०) की अवधि 08/2012 से 03/2016 तक के निधि लेखाओं पर आधारित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹ में)	कुल प्राप्तियां (₹ में)	कुल योग (₹ में)	व्यय(रु०में)	अन्त:शेष (₹ में)

2012-13	0.00	37162.00	37162.00	26772.00	10390.00
2013-14	10390.00	152.00	10542.00	3090.00	7452.00
2014-15	7452.00	125358.00	132810.00	4920.00	127890.00
2015-16	127890.00	299682.00	427572.00	42803.00	384769.00

दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = ₹384769.00

दिनांक 31.3.16 को बैंक खातों/ रोकड़ बही के अनुसार शेष= ₹384769.00

[**परिशिष्ट "क"** के अनुसार]

Detail of Closing Balance as on 31.03.16 as per Bank pass book /cash book

Sr. No.	**Name of Fund**	**HP co-op Bank A/C No**	**Amount(Rs.)**
1	Amalgamated/ Identity Card/ Book Replacement /Cultural Activity/ Furniture Replacement /Student Aid / Campus Development Fund	56610110275	90816.00
2	University Campus Development Fund	56610112114	129285.00
3	College Magazine Fund	56610110278	14252.00
4	Computer & Internet Fund	56610110348	5679.00
5	Fine Fund	56610112115	2500.00
6	Medical Fund	56610110280	1705.00
7	House Exam Fund	56610110279	17316.00
8	Library Security Fund	56610110277	20881.00
9	NCC Fund	56610111780	1344.00
10	Rovers & Rangers Fund	56610110282	16451.00
11	Sports Fund	56610112113	51566.00
12	University Exam/Registration/ Sports/ Holiday Home Fee&Youth Welfare Fund	56610110281	32974.00
	Total	**Total**	**384769.00**

दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों/रोकड़ बही में दर्शाए गये शेषों में अंतर(**₹384769 -₹384769**) = **शून्य**

5 निवेश

अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्र निधियों में से कोई भी राशी सावधिक जमा में निवेशित नहीं की गई थी जबकि निधियों से सम्बन्धित बैंक बचत खातों में ₹3.85 लाख दिनांक 31.03.16 को अनुपयुक्त जमा पड़ी थी। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा, निधियों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अल्प व् दीर्घकालिक सावधिक जमा में

निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए ताकि निधि से छात्र कल्याण व् विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 छात्रो से प्राप्त फीस/निधि की राशि को सरकारी खजाने/बचत खाते में विलंभ से जमा करने सम्बन्धी अनियमितता

(क) छात्रो से प्राप्त फीस की राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाने सम्बन्धी चालानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि प्राप्त फीस की राशि प्राप्ति तिथि के 2 से 37 दिंनों तक के विलंभ से जमा करवाई गई थी जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है क्यूंकि नियमानुसार राशि उसी दिन या अगले कार्य दिवस को सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। अतः इस अनियमितता को या तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित से विलंभ अवधि का दंड ब्याज वसूल किया जाए तथा भविष्य में प्राप्त शुल्क की राशि को सरकारी खजाने में समयानुसार जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक	शुल्क प्राप्ति का विवरण			सरकारी खजाने में जमा करने का विवरण		विलंभ की अवधि
	रजिस्टर पृष्ठसंख्या	तिथि	राशि (₹ में)	चालान संख्या	दिनांक	
1	1	24.09.12	1800	4	31.10.12	1m6d
2	2	05.12.12	900	7	02.01.13	28d
		06.12.12	300			27d
		Total	1200			
3	5	26.06.14	9790	6	09.07.14	13d
		03.07.14	165			6d
		04.07.14	495			5d
		05.07.14	175			4d
		07.07.14	390			2d
		Total	11015			
4	6	08.07.14	495	11	17.07.14	9d
		09.07.14	410			8d
		10.07.14	1460			7d
		11.07.14	3225			6d
		Total	5590			
5	9	03.01.15 (Date of deposit of funds)	8100	12	17.01.15	14d
6	9	17.01.15	300	9	11.02.15	25d

		(Date of deposit of funds)				
7	11,12 & 83to85	20.06.15	5275	3	06.07.15/ Rs.21165	16d
		22.06.15	2675			14d
		24.06.15	1340			12d
		25.06.15	950			11d
		26.06.15	2665			10d
		27.06.15	4660			9d
		30.06.15	3615			6d
		Total	21180			
8	13	13.07.15	485	2	25.07.15	12d
		14.07.15	1080			11d
		15.07.15	2240			10d
		16.07.15	730			9d
		20.07.15	4350			5d
		Total	8885			
9	15	05.08.15	2060	5	11.08.15	6d
10	17&87	17.12.15	5100	5	22.01.16	1m5d
		18.12.15	600			1m4d
		19.12.15	5400			1m3d
		21.12.15	4500			1m1d
		22.12.15	900			1m
		04.01.16	450			18d
		Total	16950			

(ख) इसी प्रकार उक्त (क) में वर्णित अनियमितता अनुसार छात्र निधियों की प्राप्त राशि को भी सम्बन्धित निधियों के बैंक खातों में 2 से 37 दिंनों तक के विलम्ब से जमा करवाया गया था जिसका भी उक्त (क) में वर्णित यथोचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्राप्त निधि राशि को निधि बचत खाते में समयानुसार जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 छात्रों से विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर की अपेक्षा अधिक दर से वसूल करने के कारण ₹10000 की अधिक वसूली करने सम्बन्धी अनियमितता

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्रों से विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क हि०प्र० विश्वविद्यालय की अधिसूचना संख्या: 5-3/2011-12/HPU(Exam store) दिनांक 22.08.14 द्वारा निर्धारित दर ₹200 की अपेक्षा अधिक दर ₹300 प्रति छात्र वसूल करने के कारण निम्न विवरण अनुसार ₹10000 की अधिक वसूली की गई थी जोकि अनियमित है।

इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि महाविद्यालय द्वारा ड्राफ्ट संख्या:411427 दिनांक 27.08.15 द्वारा हि०प्र० विश्वविद्यालय को शुल्क ₹200 प्रति छात्र की दर से ही जमा करवाया गया था। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार या तो औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसका समाधान अब अधिक वसूल की गई राशि सम्बन्धित छात्रों को वापिस लौटाकर किया जाए या जिन प्रकरणों में राशी लौटना सम्भव न हो तो ऐसे प्रकरणों की राशि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से मिश्रित निधि को हस्तांतरित की जाए ताकि छात्र कल्याण की गतिविधियों में राशि का उपयोग हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

फीस वसूली रजिस्टर पृष्ठ संख्या /दिनांक	**छात्र संख्या जिनसे शुल्क अधिक वसूल किया गया**	**₹300 प्रति छात्र की दर से प्राप्त कुल राशि (₹ में)**	**₹200 प्रति छात्र की दर से जो कुल राशि वसूल की जानी चाहिए थी(₹ में)**	**अधिक वसूली की कुल राशि (₹ में)**
11to15/22.06.15 to 03.08.15	100	30000	20000	10000

8 **छात्रों से computer practical शुल्क की ₹9360 की कम वसूली करना**

हि० प्र० सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, की अधिसूचना संख्या:EDN-A-Kha(8)1/2001 दिनांक 01.06.10 के अनुसार प्रत्येक छात्र से वाणिज्य एवं गणित विद्यार्थी प्रतिमाह ₹15 computer practical शुल्क के रूप में वसूल किए जाने अपेक्षित थे किन्तु उक्त प्रावधान के प्रतिकूल, निम्न विवरण के अनुसार, छात्रों से कुल ₹9360 की computer practical शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम वसूल की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि की भरपाई सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

सत्र /फीस वसूली रजिस्टर पृष्ठ संख्या	**छात्रों की संख्या/ कक्षा**	**शुल्क दर प्रति छात्र**	**कम वसूल की गई राशी का विवरण (₹में)**
2014-15/3 से 9 तक	Admission No. 1501 से 1523 तक =23 छात्र / बी.कॉम-I	₹15 प्रतिमाह	23 छात्र x₹15x12M =4140
2015-16/11 से 12 तक	Admission No. 1809 से 1819 तक =11 छात्र/ बी.कॉम-I B.com.II =18 छात्र कुल छात्र=29	₹15 प्रतिमाह	29 छात्र x₹15x12M =5220

कुल योग	9360

9 छात्रों से प्राप्त ₹0.21 लाख की विभिन्न निधि राशियों को मिश्रित निधि में जमा करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नियमानुसार Campus dev. Fund, Book Replacement fund, Furniture repair/replacement, Cultural Activity Fund, Identity Card व Student Aid Fund निधियों की न तो अलग–अलग रोकड़ बही का रख-रखाव ही किया जा रहा था और न ही अलग बैंक बचत खाता ही खोल रखा था बल्कि इन निधियों की छात्र/छात्राओं से प्राप्त राशियों को मिश्रित निधि रोकड़ बही /बैंक बचत खाते में जमा करवाया गया था जोकि अनियमित है क्यूंकि इसके अभाव में सम्बन्धित निधि में जमा राशि व उसके उपयोग की सीमा का पता नहीं चलता कि एक निश्चित तिथि को निधि से उपयोग हेतु कितनी राशि उपलब्ध है। अतः परामर्श दिया जाता है कि सम्बन्धित निधियों की अलग रोकड़ बही व बैंक बचत खाते का रख-रखाव किया जाए तथा निम्न विवरण अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि में इन निधियों की मिश्रित निधि में जमा शेष राशियों को अब सम्बन्धित निधि रोकड़ बही व बैंक बचत खाते में हस्तांतरित करके इस अनियमितता का समाधान किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

निधि का नाम	सत्र 2012-13/ प्राप्त राशि (₹ में)	सत्र 2014-15/ प्राप्त राशि (₹ में)	सत्र 2015-16/ प्राप्त राशि (₹ में)	कुल राशि जो मिश्रित निधि में जमा थी (₹ में)
Campus dev. Fund	130	830	1750	2710
Book Replacement fund	325	2075	4375	6775
Furniture repair/replacement	130	830	1750	2710
Identity Card	130	830	1750	2710
Student Aid Fund	26	166	350	542
Cultural Activity Fund	260	1660	3500	5420
कुल योग	**1001**	**6391**	**13475**	**20867**

10 छात्रों से प्राप्त ₹0.13 लाख की निधि राशि को गलत निधि में जमा/गणना करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में छात्रों से प्राप्त निधियों को सम्बन्धित निधि बैंक बचत खाते में जमा/रोकड़ बही में गणना करने की अपेक्षा अन्य निधि की रोकड़ बही में गणना/ बैंक बचत खाते में जमा करवाया गया था जोकि अनियमित है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित राशियों को अब सम्बन्धित निधि

बैंक बचत खातों में हस्तांतरित व यथानुसार रोकड़ बही में गणना करके इस अनियमितता का समाधान किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

फीस वसूली रजिस्टर /रोकड़बही पृष्ठ संख्या	सत्र	प्राप्त राशि (₹ में)	सम्बन्धित निधि का नाम	निधि जिसमें राशि जमा की गई थी
1&2/2&3	2012-13	3120	खेलकूद निधि	विश्वविद्यालय निधि
5,6,&7/8	2014-15	9960	खेलकूद निधि	विश्वविद्यालय निधि
2/7	2012-13	60	एन0सी0सी0 निधि	मिश्रित निधि
कुल जोड़		**13140**		

11 **छात्र/छात्राओं से ₹120 के अनुपस्थिति शुल्क की वसूली न करना**

हि० प्र० सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, की अधिसूचना संख्या:EDN-AKha(8)1/2001 दिनांक 01.06.10 के अनुसार प्रत्येक छात्र जो House exam में अनुपस्थित रहते है, से ₹10 प्रति पेपर की दर से अनुपस्थिति शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या: "ख"** अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन से विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार 12 छात्र House exam के एक पेपर में अनुपस्थित रहे किन्तु उन छात्रों से उक्त प्रावधानानुसार देय ₹120 (12 छात्रx1₹0) की अनुपस्थिति शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम वसूल की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपस्थिति शुल्क निधि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

रोल नम्बर/छात्र संख्या	समेस्टर
1626,1627,1635,1647,1654,1655=6	प्रथम समेस्टर
1414,1422,1423,1424,1431,1432=6	तृतीय समेस्टर

12 **छात्र "निधि संग्रह रजिस्टर" में ₹134 की प्राप्त निधि राशि की कम गणना करना**

अंकेक्षणाधीन अवधि के चयनित मासों की आय का उपलब्ध करवाए गए संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया कि निम्न विवरण के अनुसार छात्र/छात्राओं से प्राप्त विभिन्न निधि की राशीयों को छात्र निधि संग्रह रजिस्टर में कम गणना/लेखांकित किया गया था तथा परिणामस्वरूप वर्णित राशि सम्बन्धित निधि की रोकड़ बही व बैंक बचत खाते में भी कम जमा की गयी जोकि अनियमित है। अत: उक्त अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि की भरपाई सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में छात्रों से प्राप्त समस्त निधियों की राशि का निधि संग्रह रजिस्टर/रोकड़ बहियों व बैंक खातों में निर्धारित समयानुसार

जमा/ गणना किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:-

रसीद संख्या/कक्षा/ रोल न.	निधि संग्रह रजिस्टर पृष्ठ संख्या	प्राप्ति तिथि	प्राप्त राशि का विवरण (₹)		निधि संग्रह रजिस्टर में गणना में ली गयी राशि (₹)	कम गणना में ली गयी राशि (₹)
982613/BA-I/113	2	13.10.12	समस्त निधियाँ	1039	1005	**34.00**
Nil/B.Com-I/1813	12	25.06.15	समस्त निधियाँ	1674	1574	**100.00**
कुल योग						**134.00**

13 खेलकूद शुल्क ₹120 की छात्रों से कम वसूली करना

हि० प्र० विश्वविद्यालय की अधिसूचना संख्या:DR(Exams)Fee Rates/99 दिनांक 22.03.99 के अनुसार प्रत्येक छात्र से प्रतिवर्ष ₹15 खेलकूद शुल्क के रूप में वसूल किए जाने अपेक्षित थे जबकि छात्रों से वित्तीय वर्ष 2011-12 में केवल ₹5 ही वसूल किए थे I अतः इस प्रकार निम्न विवरण के अनुसार, छात्रों से ₹120 की वसूली कम की गयी थी जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम वसूल की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके खेलकूद शुल्क निधि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

वित्तीय वर्ष	छात्राओं की संख्या	अपेक्षित वसूली दर प्रति वर्ष/ प्रति छात्र (₹)	वास्तविक वसूली दर प्रति वर्ष/प्रति छात्र (₹)	वसूली दर में अंतर प्रति वर्ष /प्रति छात्र (₹)	कम वसूल की गई राशि (₹)
2011-12	12	15	5	10	**120**

14 लाइब्रेरी की कालातीत हो चुकी ₹1200 की प्रतिभूति राशियों को जब्त करके मिश्रित निधि में जमा न करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत फीस प्राप्ति रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 24.09.12 को 12 छात्रों से ₹100 प्रति छात्र की दर से ₹1200 रसीद संख्या :0982601 से 0982612 तक द्वारा लाइब्रेरी प्रतिभूति के रूप में प्राप्त हुए थे (फीस प्राप्ति रजिस्टर) परन्तु ये छात्र दिनांक 02.03.2013 को महाविद्यालय बंद होने के कारण महाविद्यालय छोडकर चले गये थे तथा इस प्रकार प्राप्त प्रतिभूति राशियाँ छात्रों द्वारा समय रहते दावा न करने के कारण कालातीत हो चुकी थी किन्तु नियमानुसार उनको जब्त करके मिश्रित निधि में जमा नहीं किया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार कालातीत हो चुकी प्रतिभूति राशियों को जब्त करके मिश्रित निधि में जमा

करना सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्र कल्याण की गतिविधियों में राशि का उपयोग हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **छात्र निधियों का छात्र कल्याण/विकास हेतु नियमित उपयोग न करना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार छात्र निधियों का छात्र कल्याण/विकास हेतु नियमित उपयोग नहीं किया जा रहा था या नाममात्र ही उपयोग किया जा रहा था जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों से निधि एकत्र करने का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। अतः परामर्श दिया जाता है कि एकत्र छात्र निधियों का नियमानुसार छात्र कल्याण/विकास हेतु नियमित तौर से उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके:-

क्रमांक	छात्र निधि का नाम	अवधि	छात्रों से एकत्रित राशि (₹ में)	व्यय राशि (₹ में)	व्ययप्रतिशत /अभियुक्ति
1	Bharat & Scouts Guide Fund	08/2012 से 03/2013 तक व 04/2014 से 03/2016 तक =2Y8M	16451	nil	0.00%
2	Computer & Internet Fund	08/2012 से 03/2013 तक व 04/2014 से 03/2016 तक =2Y8M	5679	nil	0.00%
3	Health Fund	08/2012 से 03/2013 तक व 04/2014 से 03/2016 तक =2Y8M	1705	nil	0.00%
4	Magazine Fund	08/2012 से 03/2013 तक व 04/2014 से 03/2016 तक =2Y8M	14252	nil	0.00%
5	NCC Fund	7/2014to3/2016=1Y9M	1344	nil	0.00%
6	Fine Fund	01/2015 से 03/2016 तक =1Y3M	2500	nil	0.00%
7	Sports Fund	08/2012 से 03/2013 तक व 04/2014 से 03/2016 तक =2Y8M	51566	5909	11.46%

16 **उत्तर पुस्तिकाओं/समाचार पत्रों की रद्दी की बिक्री न करना**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या:24/2017 दिनांक 13.02.17 के प्रत्युतर में उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार महाविद्यालय द्वारा आरंम्भ से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं/समाचार पत्रों से प्राप्त रद्दी को स्टॉक में जमा करके रखा हुआ था तथा वर्तमान अंकेक्षण की अवधि तक उसकी कोई बिक्री नहीं की गयी थी I अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार निश्चित समय तक उत्तर पुस्तिकाओं को preserve रखने के उपरांत प्राप्त रद्दी को, समाचार पत्रों की रद्दी सहित, स्टॉक में जमा रखने की अपेक्षा नियमित तौर से

बिक्री करना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राप्त राशी का छात्र कल्याण की गतिविधियों में उपयोग हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये I

17 छात्र निधि से Heat Pillars क्रय करने तथा भुगतान में पाई गई अनियमितताएँ

अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में छात्र निधि से निम्न विवरण अनुसार दो अद्द Heat Pillars क्रय किये गए थे :-

क्रमांक	**विवरण**	**कुल व्यय की राशि (₹ में)**	**निधि जिससे व्यय किया गया**
1	Vr.No.1of31.07.13/ purchase of 1 no. Heat Pillar(Belco Brand) from M/s Rakesh Garg& Bros. Bara Chowk –Nahan,Bill no. 417 dated 14.12.12(ch. No. 6533555 dated 30.07.13)	2800+ 5% vat 140 =Total 2940	Amalgamated Fund(cash book page-9)
2	Vr.No.1of31.07.13/ purchase of 1 no. Heat Pillar(Belco Brand) from M/s Rakesh Garg& Bros. Bara Chowk –Nahan,Bill no. 421 dated 14.12.12(ch. No. 6533705 dated 30.07.13)	2800+ 5% vat 140 =Total 2940	University Fund(cash book page-7)

उक्त वर्णित क्रय तथा भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) Heat Pillar को नियमानुसार rate contract पर क्रय किया जाना चाहिए था जोकि हि०प्र० सरकार के दर संविदा संख्या : 4-Ind/SP-3/E-06(01)21/2014(27) दिनांक 11.12.14 अनुसार भी ₹1995 +VAT पर उपलब्ध था तथा इस प्रकार ₹805 (2800-1995)+VAT5%i.e ₹40= ₹845 प्रति Heat Pillar की दर से राशि की बचत होती किन्तु ऐसा न करके Heat Pillar को खुले बाज़ार से क्रय करने पर ₹1690 (₹845x2No.)की हानि हुई है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से हानि की राशि की वसूली करके सम्बन्धित निधि की भरपाई सुनिश्चित की जायेI

(ख) महाविद्यालय वित्तीय वर्ष 2013-14 में अस्तित्व में ही नहीं था। अतः इस दौरान दिनांक 30.07.13 को छात्र निधि खातों से राशि आहरण व् भुगतान करने की प्रदत शक्तियाँ व् प्राधिकार को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अंतर्गत अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए अन्यथा संबन्धित की जिम्मेवारी निर्धारित करके आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जाये I

18 छात्र निधि से किसी अन्य उद्देश्य हेतु ₹0.03 लाख का अनियमित व्यय करना

चयनित माह के व्यय वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में छात्र निधि से निम्न विवरण अनुसार ₹3090 का किया गया व्यय सम्बन्धित निधि पर उचित प्रभार न होने के कारण अनियमित था तथा जिसका समाधान अब वर्णित राशि को उचित स्त्रोत से आहरित करके सम्बन्धित निधि की भरपाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रमांक	**विवरण व् उद्देश्य**	**कुल व्यय की राशि (₹ में)**	**निधि जिससे व्यय किया गया**	**निधि जिससे व्यय किया जाना चाहिए था**
1	Vr.No.2 of30.07.13/ purchase of office cash book from Printing & Stationary Deptt. HP vide CM no.0002901 dated 08.11.12	150	Amalgamated Fund(cash book page-9)	O.E(office Expenses)
2	Vr.No.1of31.07.13 / purchase of 1 no. Heat Pillar(Belco Brand) from M/s Rakesh Garg& Bros. Bara Chowk –Nahan,Bill no. 421 dated 14.12.12(ch. No. 6533705 dated 30.07.13)	2940	University Fund(cash book page-7)	Amalgamated Fund
	कुल जोड़	**3090**		

19 समस्त निधियों की संकलित एवम निधिवार वर्गीकृत रोकड़ बही का रख –रखाव न करना

निधि लेखो के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समस्त निधियों की संकलित रोकड़ बही की अपेक्षा अलग-अलग रोकड़ बहियों का रख –रखाव किया गया था I अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में समस्त निधियों के लेखों का रख-रखाव एक ही रोकड़ बही में निधिवार वर्गीकृत करके किया जाए ताकि सम्बन्धित निधि की वास्तविक आय –व्यय व् शेष जमा राशी बारे स्थिति स्पष्ट हो सके तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

20 मिश्रित अनियमितताएं

(क) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव न करना

निधि लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में निधियों से स्वीकृत किये गये अस्थायी अग्रिमो एवं कब-कब उनका समायोजन किया गया तथा एक विशेष तिथि को कितने अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे, बारे पत्ता नहीं चलता I अतः वर्णित रजिस्टर का अविलंभ रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(ख) प्राप्तियों एवम भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को निम्न विवरण अनुसार प्राप्तियों एवम भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना मौखिक तौर पर बार-बार अनुरोध करने पर भी प्रस्तुत नहीं की गयी जोकि गंभीर चिंता का विषय है I अतः वर्णित अभिलेख/सूचना अब आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करते हुए इसकी सत्यापना करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:

क्रमांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	विवरण	राशि (₹ में)	अभियुक्ति
1	5 (University Fund)	Shown paid to Sh. Rajiv, clerk PG college-Nahan on a/c of Exam form fee BA 1st Year (Vr. no. nil dated 22.12.12, ch.no.6533702 dated22.12.12	1440	Payment withdrawn in cash from bank
2	no entry in cash book(AF)	Amt.cr. in bank on 03.12.12	2500	Receipt
3	no entry in cash book(AF)	Amt. Dr. in bank on 12.06.13	2500	Payment withdrawn in cash from bank that too during the period when College was not in existence.

(ग) अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि छात्रों से वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में प्राप्त फीस की जारी की जा रही रसीदों पर कोई भी नम्बर अंकित नहीं था जोकि अनियमित है क्यूंकि नियमानुसार प्रत्येक रसीद पर क्रमानुसार नम्बर छपा होना अपेक्षित है ताकि प्राप्त फीस की लेखों में गणना की कोई भी त्रुटी /दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से बचा जा सके I अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में छात्रों से प्राप्त फीस क्रमानुसार नम्बर अंकित रसीदों द्वारा ही प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

(घ) योग की गणना में त्रुटी के कारण ₹15 फीस की राशी सरकारी खजाने में कम जमा करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 20.06.15 से 30.06.15 तक वास्तविकता में छात्रों से ₹21180 फीस की राशि वसूल की गयी थी(फीस प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या: 11,12,83&85) किन्तु इसके विरुद्ध केवल ₹21165 ही चालान संख्या: 3 दिनांक 06.07.15 द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गयी थी जोकि ₹15 कम थी जिसका मुख्य कारण फीस प्राप्ति रजिस्टर के पर प्राप्त कुल फीस का योग ₹8765 की अपेक्षा ₹8750 ही लिया गया था I अतः इस अनियमितता का समाधान अब वर्णित ₹15 को सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

21 **लघु आपत्ति विवरणिका:-**सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी I

22 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय-2 पर अध्यतन (Updation) एवम पूर्ण करने की नितांत आवश्यकता है ताकि छात्र निधि का नियमानुसार सही उपयोग सुनिश्चित हो सकेI

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(10)149/2017खण्ड–1–5301–5303,दिनाँक–30.08.17 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 उप सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–171002

2 निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला–171001

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय सराहाँ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881